

उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य तथा रसद अनुभाग-1
संख्या-10/2018/रा-484/29-1-2018-59विधि/12
लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2017

कार्यालय आदेश

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु शासन के कार्यालय जाप संख्या-रा-15/2016/रा-429/29-1-16-59विधि/2012, दिनांक 26-02-2016 द्वारा आयुक्त, खाद्य एवं रसद की अध्यक्षता में गठित स्क्रिनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से स्तम्भ-4 में अंकित ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	नाम/पदनाम	वित्तीय स्तरोन्नयन दिये जाने की तिथि	वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्वीकृत ग्रेड वेतन
1	2	3	4
1	श्री सत्येन्द्र नाथ पाण्डेय, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, झांसी	दिनांक 16-04-2017 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन	₹0 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹0 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12
2	श्री दिनेश शर्मा, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, सहारनपुर	दिनांक 16-04-2017 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन	₹0 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹0 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12
3	श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, मेरठ	दिनांक 16-04-2017 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन	₹0 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹0 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12

(सन्तोष कुमार सक्सेना)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अधिकारीगणों के वेतन निर्धारण/वेतन एरियर एवं पेंशन निर्धारण/पुनरीक्षण के संबंध में अपने स्तर से नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- 3- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक-ले0शा0/1544/आयुक्त-अधि0 2015/ए0सी0पी0 (राजपत्रित) दिनांक 04-12-2017 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कमेटी की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा जिन अधिकारियों को ए0सी0पी0 दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है, उन्हें अपने स्तर से सूचित कराने का कष्ट करें।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी।
- 5- संबंधित अधिकारीगण द्वारा आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- चरित्र पंजिका हेतु।
- 7- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।